

राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

क्रमांक अ 1(12)सा.नि./21(Rk-00177)

जयपुर, दिनांक

राजस्थान, जयपुर
1-सूचना प्रथम/ए
2-पत्र प्रारम्भ क्रमांक 750
3-दिनांक 28/09/21
4-संख्या/दिनांक


27 SEP 2021

आदेश

राजस्थान अभिगात्रिकी सेवायें (भवन एवं पथ) नियम, 1954 के नियम 24 के अन्तर्गत गठित रिभागीय पदोन्नति समिति की अभिशप्ता पर नियमित रूप से नियुक्त निम्नांकित अतिरिक्त मुख्य अभियंतागण(शिबिल) को वर्ष 2021-22 में इनके नाम के सम्मुख अंकित शिबिल की तिथि से योग्यता के आधार पर मुख्य अभियंता(शिबिल) के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-


क्रमांक	नाम	शिबिल की दिनांक
1	श्री तारा चन्द गुप्ता	01.04.2021
2	श्री सुनील जयसिंह	01.04.2021
3	श्री मूकेश भाटी	01.01.2022

आज्ञा से,


(ब्रिजेन्द्र सिंह परमार)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सा.नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. मुख्य अभियंता एवं अति. सचिव, सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर।
7. संबंधित अधिकारीगण।
8. रक्षित पत्रावली।



(राजजन कुमार)
अनुभागाधिकारी
P.T.O.

संयुक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के आदेश क्रमांक: प0 1 (12) सानि/21/(आरके-00177) दिनांक 27.09.2021 की प्रति वास्ते अति0 मुख्य अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता के पद पर पदोन्नति वर्ष 2021-22 के सम्बंध में

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: प0 7-2549(सीई)/अनु0प्रथम/ए/2021/प्रे0-751 दिनांक: 28.09.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सानिवि राज0, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सानिवि, राज0, जयपुर ।
3. प्रबन्ध निदेशक, आर.एस.आर.डी.सी., जयपुर ।
4. मुख्य अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर ।
5. अति0 मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि., संभाग, समस्त ।
6. अति0 मुख्य अभियन्ता (विद्युत), सानिवि जयपुर/जोधपुर ।
7. अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि., वृत्त-समस्त मय विद्युत/यांत्रिक ।
8. निजी सचिव मुख्य अभियन्ता एवं अति0 सचिव/व0निजी सहायक मुख्य अभियन्ता पीएमजीएसवाई./क्यू.सी./एन.एच./भवन/विद्युत/वित्तीय सलाहकार /मुख्य वास्तुविद/अति0 मुख्य अभियन्ता (पीपीपी)/तकनीकी सहायक प्रथम/ अधीक्षण अभियन्ता (जांच) अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय)/संयुक्त विधि परामर्शी ।
9. सम्बंधित अधिकारी ।
10. निजी /रक्षक पत्रावली



(आरिफ मोहम्मद खान)

अधीक्षण अभियन्ता एवं तक0 सहा0प्रथम
सार्वजनिक निर्माण विभाग राज0 जयपुर